ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2015 से 31.03.2018

भाग-I

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, मंझोली, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः-

प्रधानः-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्री अमर सिंह	01.04.2015 से 22.01.2016 तक
2	श्रीमती कान्ता देवी	23.01.2016 से 31.03.18 तक

सचिवः-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री दिलावर ठाकुर	01.04.2015 से 07.07.2015 तक
2.	श्री बिलम ठाकुर	08.07.2015 से 15.11.2015 तक
3.	श्री आशीष शर्मा	16.11.2015 से 29.06.2017 तक
4.	श्री पदम् पंवार	30.06.2017 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत, मंझोली के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा नं	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करना	5	0.71
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7(i)	0.36

3	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	7(ii)	0.30
4	अनुदान राशी का उपयोग न करना	8	48.99
5	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	9	1.14
6	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टि न करना	10	1.14
7	तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, उपयोग दर्शाकर सम्भावित दुर्विनियोजन	11(i)	0.34
8	बिना स्वीकृति व् अनुदान की प्राप्ति किया गया अनियमित व्यय	11(ii)	5.68
9	मनरेगा की रोकड़ बही व व्यय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	12(i)	22.48
10	मनरेगा में बिना बिल/वोचेर्स के राशि का अनियमित भुगतान	12(ii)	0.56
11	जे.सी.बी भाड़ा का अनियमित भुगतान	13	1.47
12	स्थानांतरित व् पेशगी राशि का संदिग्ध समायोजन	14	0.72
13	बिना बिल/ वाउचर के राशि का अनियमित आहरण	15(i)	2.57
14	SBM योजना व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना	15(ii)	4.92
15	निर्माण कार्यों का विवरण दिए बिना सीमेंट की खरीद	15(iii)	1.40
16	पंचायत चौकीदार के मानदेय का दो बार भुगतान	16	0.08

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 19.06.2018 से 25.06.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत मंझोली के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं के विस्तृत अंकेक्षण हेतु

निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है:-

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	03/2016	08/2015
2016-17	07/2016	03/2017
2017-18	07/2017	06/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मंझोली, विकास खण्ड कुपवी, ज़िला शिमला के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/कुपवी/2018-19-07 दिनांक **25.06.2018** द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत मंझोली से अनुरोध किया गया है।

4 वितीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत मंझोली की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न {**परिशिष्ट-1**} में भी दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	1307749.84	2526193.00	3833942.84	2775092.00	1058850.84
2016-17	1058850.84	5924091.00	6982941.84	3238656.00	3744285.84
2017-18	3744285.84	3576124.00	7320409.84	2421554.00	4898855.84

नोट:-1. सचिव ग्राम पंचायत मंझोली द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय व व्यय का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-'क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण स्वः स्त्रोत से आय–व्यय की वितीय स्थिति अलग से तैयार नहीं की जा सकी ।

नोट:-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है|

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः वर्णित अनियमितता के कारण रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक शेष में दिनांक 31/03/201 8 को निम्नविवरणानुसार **₹71,048.20** का अन्तर पाया गया, जिसका शीघ्र समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए:-

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	4898855.84	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	4969904.04	2
	कुल अन्तर	**71048.20**	

31.03.218 को विभिन्न खातों में जमा राशि का विवरण

अनुदान	बैंक का नाम	बचत खाता नं	31.03.2018 को शेष जमा (₹)
सामान्य निधि	HPSCB, Chopal	40510100012	97470.84
	---do---	40510109338	5241.00
	HPSCB, Kupvi	46210100705	4822730.20
खाता मानदेय जलरक्षक	---do---	46210101503	44462.00
बचत बैंक खातों में 01.04.15 तथा 31.03.18 शेष राशि			**4969904.04**

6 **स्वः स्त्रोत से सम्बन्धित विभिन्न करों/शुल्कों की दरों को ग्राम सभा से अनुमोदित न करवाना**

सचिव ग्राम पंचायत मंझोली के पत्र **क्रमांक:GP/Manjholi/-2018-19-6** दिनांक 25.06.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गई थी:–

नं	आय का साधन	दरें (₹)	विवरण
1.	गृहकर	20/- 25/- 30/-	2015-16 2016-17 2017-18
2.	मोबाइल टावर	सरकार द्वारा अनुमोदित	एक टावर एयरटेल कम्पनी का
3.	दुकान किराया	------	---लागु नहीं---
4.	भू-राजस्व	सरकार द्वारा अनुमोदित	तीन राजस्व ग्राम
5.	विवाह	10/-	3 अक्टूबर,2016 तक, तदुपरान्त
	पञ्जीकरण शुल्क	200/-**{BPL 25/-}**	पञ्जीकरण 30 दिन के भीतर
		400/-**{BPL 50/-}**	पञ्जीकरण 90 दिन के भीतर
6.	प्रमाण पत्र शुल्क	10/-	---------
7.	शराब कर	सरकार द्वारा अनुमोदित	---------
8.	आय का साधन अन्य कोई साधन/देय शुल्क		---शून्य---

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दरें नियमानुसार ग्राम सभा से अनुमोदित नहीं थी। अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 **स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की निरन्तर वसूली न करना**

(i) गृहकर ₹0.36 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेषः–

अंकेक्षण ज्ञापन **संख्या:जी.पी.ऑडिट/ कुपवी/मंझोली/2018-19-3** दिनांक 19/06/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत मंझोली ने पत्र **क्रमांक:GP/Manjholi/Kupvi/201 8-19-6** दिनांक 25 /06/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार गृहकर **₹35,880** वसूली योग्य शेष दर्शाया गया था, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वित्तीय **वर्ष**	**कुल परिवार**	**वार्षिक दर (₹)**	**कुल कर**	**प्राप्त राशि (₹)**	**शेष राशि (₹)**
01.04.15	31.03.15 को गृहकर की वसूली योग्य राशि				**11120**
2015-16	313	20/-	6260	------	17380

2016-17	326	25/-	8150	------	25530
2017-18	345	30/-	10350	------	35880
			गृहकर की वसूली योग्य राशि		**35880**

(ii) मोबाइल टावर शुल्क ₹0.30 लाख वसूली हेतु शेष

उक्त उप अंकेक्षण पैरा (i) में वर्णित पत्र के **क्रमांक: 3** पर दर्शाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार पंचायत के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एयरटेल कम्पनी के मोबाइल टावर से स्थापना व् नवीनीकरण शुल्क के रूप में **₹30,250** वसूली योग्य शेष है, जिसकी सम्बन्धित कम्पनी से शीघ्र वसूली करके पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

वर्ष	**देय शुल्क (₹)**	**विवरण**
2006	4000/-	स्थापना शुल्क @4000/-
2007 to 2011	10000/-	नवीनीकरण शुल्क @2000 प्रति वर्ष
2012 to 2016	12500/-	नवीनीकरण शुल्क @2500 प्रति वर्ष
2017 to 2018	6250/-	नवीनीकरण शुल्क @3125 प्रति वर्ष
Total:-	**32750/-**	31.03.2018 को वसूली योग्य कुल राशि
Less:-	**2500/-**	वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त राशि
Net:-	**30250/-**	31.03.2018 को वसूली योग्य शेष राशि

(iii) मांग एवम प्राप्ति पंजिका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत, मंझोली द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित "मांग एवं वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण गृहकर तथा अन्य शुल्कों से पंचायत को प्राप्त होने वाली आय, वास्तविक प्राप्ति व शेष बकाया का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उपरोक्त नियम की अनुपालना करते हुए "मांग एवं वसूली पंजिका" तुरन्त उचित संधारण करना सुनिश्चित किया जाये ताकि पंचायत को प्राप्त होने वाली आय की सही राशि का तुरन्त बोध हो सके और किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन/हानि की सम्भावना को नकारा जा सके।

8 **अनुदान** का ₹48.99 लाख **का उपयोग न करना**

पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट-1** के माध्यम से उपलब्ध कारवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹48,98,856** की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है। वहीं इस राशि के समयानुसार उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाले लाभों से ग्रामीणों को वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान या सक्षम अधिकारी से प्राप्त समयावधि की **बढ़ौतरी की स्वीकृति** के भीतर उसी उद्देंश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना** ₹1.14 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर सामग्री का क्रय करने की औपचारिकताएं विहित है जिसके अनुसार ₹**1000** से अधिक तथा ₹**50,000** से कम राशि के क्रय हेतु **कोटेशन्स (Quotations)** आमंत्रित किया जाना तथा ₹**50,000** से अधिक राशि के क्रय हेतु **निविदा आमंत्रित(Tenders)** किया जाना अपेक्षित है, ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके | इसी तरह नियम 67(3)(a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय समिति का गठन किया जाना भी अपेक्षित है जिसमें प्रधान, उप–प्रधान नामित दो वार्ड सदस्य तथा सचिव को सम्मिलित किया जाएगा परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये तथा नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही निम्न विवरणानुसार ₹113574 की निर्माण कार्य सामग्री का क्रय किया था, जोकि उक्त नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है । अतः वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय विहित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

दिनांक	**बिल सं0**	**आपूर्तिकर्ता का नाम**	**क्रय सामग्री** का विवरण	**राशि (₹)**
14th FC- (माह-03/2017)				
03.03.17	117	लाल्टा गुड्स केरियर	175 बैग रेत	14000/-

03.03.17	118	------do------	352 बैग रेत	30000/-
03.03.17	119	------do------	166 बैग रेत	15000/-
14th FC- (माह-06/2017)				
04.06.17	GR-286	लाल्टा गुड्स केरियर	59 बैग रेत	4975/-
28.06.17	कच्ची रसीद	रामलाल/फंदिया राम	464 बैग बजरी	14695/-
28.06.17	---do---	शेर सिंह/ध्यानु राम	16 चट्ठे पत्थर	19920/-
06.2017	---do---	कपिल लाल्टा	3.5 चट्ठे पत्थर	4023/-
06.2017	---do---	बलवीर सिंह	148 बैग बजरी	4736/-
			5 चट्ठे पत्थर	6225/-
			कुल योग	**113574/-**

10 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में **प्रविष्टि न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु उक्त पैरा संख्या 9 में दिए गए विवरण अनुसार **क्रय की गई विभिन्न मदों की प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की** गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा **क्रय की गई प्रत्येक मद की प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए** और **भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव** विहित **नियमानुसार** ही **किया जाना सुनिश्चित किया जाए**|

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितताएँ

(i) तकनीकी प्राधिकारी के मुल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का निर्माण कार्यों में उपयोग **करने के कारण ₹0.34 लाख सम्भावित दुर्विनियोजन**

निर्माण कार्यों का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने **के दौरान पाया गया** कि **निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक ₹34,383 की** निम्न वर्णित निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था जोकि अनियमित है तथा ऐसे में निर्माण सामग्री के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

निर्माण सामग्री का नाम	निर्माण कार्य में उपयोग सामग्री की मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक उपयोग निर्माण सामग्री की मात्रा	क्रय दर (₹)	अनियमित व्यय की गई राशि (₹)
14th FC:-निर्माण पक्का रास्ता GHS, बाग MB-8104 पृष्ठ-25-27,50-51					
रेत	11.30 Cum	10.20Cum	1.10	2542 per cum	2796
बजरी	26.86 Cum	21.27Cum	5.59	875 per cum	4891
मजदूरी	107070/-	92859/-	------	------	14211
14th FC:-निर्माण पक्का रास्ता मैहर सिंह बस्ती लाल्टा MB-8104 पृष्ठ-22-23					
रेत	6.20 Cum	2.99Cum	3.21	2260 per cum	7255
14th FC:-निर्माण पक्का रास्ता,चिचराडी-{फेज I व् II} MB-8104 पृष्ठ-19-21,39-40					
रेत	11.59 Cum	9.53 cum	2.06	2540 per cum	5230
				कुल योग	**34383**

(ii) बिना **स्वीकृति** व **अनुदान राशि** की प्राप्ति के **₹**5.68 लाख **का अनियमित व्यय/भुगतान करना**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Kupvi/Manjholi / 2018-19-2 दिनांक 19/06/2018 के सन्दर्भ में सचिव ग्राम पंचायत मंझोली के पत्र क्रमांक:GP/Manjholi/Kupvi/2018-19-02 दिनांक 25.06.2018 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यो हेतू प्राप्त तथा खर्च की गई राशि बारे उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्न विवरणानुसार ₹568230 के निर्माण कार्य बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति व अनुदान राशि की प्राप्ति के ही निष्पादित किए गए थे जोकि गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे पूर्ण छानबीन करके वस्तु **स्थिति स्पष्ट की जाए** तथा वर्णित व्यय को **सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त** करके **नियमित** करवाने के साथ–2 **अनुदान की राशि सम्बन्धित संस्था से प्राप्त** करना भी सुनिश्चित किया जाए तथा **अनुपालना से अंकेक्षण को** अवगत करवाया जाए:-

कार्य का नाम	स्वीकृत व् प्राप्त राशि	खर्च की गई राशि (₹)
निर्माण खेल मैदान थोड़ा	नहीं दर्शायी गई है	275000/-
नि.L/R मुख्य मार्ग से थोड़ा	नहीं दर्शायी गई है	204880/-
निर्माण P/W मन्दिर हरनाह	नहीं दर्शायी गई है	50000/-

4 शोचालय GSSS, गौठ	प्राप्त राशि 13358/-	38350/-
	13358/-	**568230/-**

(iii). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत **न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 में वर्णित प्रावधानों के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों से सम्बन्धित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र { कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के समस्त निर्माण कार्यों }** इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिनकी अनुपस्थिति में अंकेक्षण अवधि के दौरान निष्पादित किये गए निर्माण कार्यों पर खर्च लाखों रूपये के व्यय/भुगतान का पूर्ण **अंकेक्षण** सम्भव न हो सका। **अतः उक्त अभिलेख** अंकेक्षण को **प्रस्तुत न करने** का **औचित्य स्पष्ट** करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु **प्रस्तुत** किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

12 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय **से सम्बन्धित अनियमितताएँ**

(i) मनरेगा योजना की रोकड़ बही व व्यय से सम्बन्धित अन्य अभिलेख अंकेक्षण को **प्रस्तुत न करना:-**

अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेख जैसे जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्टर रोल्स जारी करने का रजिस्टर, सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जबकि उक्त अवधि में **(Online Financial Statements)** के अनुसार **₹22,47,884** का ऑनलाइन भुगतान किया **गया** था जिसको आधार मानकर ही पंचायत की निम्नविवरणानुसार वित्तीय स्थिति तैयार की गई है। अतः वर्णित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

वित्तीय वर्ष	**मजदूरी (₹)**	**सामग्री (₹)**	**कुल भुगतान (₹)**
2015-16	1108622	------	1108622
2016-17	648002	399499	1047501
2017-18	66917	24844	91761
कुल भुगतान	**1823541**	**424343**	**2247884**

(ii) बिना बिल/वाउचर के ₹0.56 लाख का अनियमित भुगतान

मनरेगा योजना के अन्तर्गत चयनित माह 03/2017 **के व्यय** का **अंकेक्षण** करने **के दौरान** निम्न विवरणानुसार **₹55,874 के व्यय/भुगतान से सम्बन्धित बिल**/वाउचर **अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये** गए, जोकि अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित व्यय/भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए:–

प्रारूप बिल संख्या	विकास कार्य का नाम	राशि (₹)
409658	पक्की गली नाली बाग़ मंझोली	28244
409663	पक्की गली नाली कमल बस्ती लोहनधार	19648
409660	निर्माण टैंक हरी सिंह	7982
	बिना बिल/वाउ चरस के किया गया कुल व्यय भुगतान	55874

13 **जे.सी.बी भाड़ा ₹1.47 लाख का अनियमित भुगतान**

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **ग्राम पंचायत** द्वारा **खेल मैदान, थोडा के निर्माण** कार्य हेतु बिना निविदाएं आमन्त्रित किये जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर श्री जालम सिंह सरकारी ठेकेदार को चेक संख्या:400012 दिनांक 28.08.2015 द्वारा **₹1,47,000** का भुगतान किया गया है, जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:9** में वर्णित नियमों के प्रतिकूल **होने के कारण अनियमित है।** अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त **जे.सी.बी** द्वारा **करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं** भी **अंकेक्षण** को प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में उक्त व्यय राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अभिलेख अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी भाड़ा का भुगतान करते समय नियमानुसार अपेक्षित **संवैधानिक** कटौतियाँ जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** की कटौती नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। अतः उक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न करने का पूर्ण **औचित्य स्पष्ट किया जाए** अन्यथा अपेक्षित वसूलियाँ सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करने के साथ–2 भविष्य में **नियमानुसार सभी संवैधानिक** कटौतियाँ करने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 अग्रिम से वापिस प्राप्त (Refund) ₹0.72 लाख का संदिग्ध समायोजन/व्यय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही में दिनांक 28.04.2015 को निम्न विवरणानुसार **₹71,810** अग्रिम से वापिस प्राप्त राशि के रूप में दर्शाए गए थे किन्तु प्राप्त राशि सीधे ही निम्न विवरणानुसार व्यय/भुगतान दर्शाकर समायोजित दर्शाया गया है जोकि अनियमित एवं संदिग्ध प्रतीत होता है क्योकि न तो दर्शाए गए व्यय का विवरण रोकड़ बही में दर्ज पाए गए और न ही व्यय की सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति व सम्बन्धित अभिलेख तथा खाता **संख्या: 1615** की बैंक पास बुक अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई | अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए:-

राशि (₹)	**28.04.2015 को प्राप्त राशि का विवरण**
39600/-	UCO बैंक खाता 1615 से दिनांक 11.04.2015 को स्थानांतरित राशि
1050/-	UCO बैंक खाता 1615 से दिनांक 27.04.2015 को स्थानांतरित राशि
1634/-	पेशगी वापसी श्याम सिंह चोकीदार
29526/-	13th FC से दिनांक 30.03.15 को देई राम को दी गई पेशगी वापसी
71810/-	**रोकड़ बही अनुसार 28.04.15 को कुल प्राप्त राशि**

उपरोक्त प्राप्ति के विरूद्ध रोकड़ बही में दर्शाए गए व्यय भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है;

राशि (₹)	**कार्य का नाम/व्यय भुगतान का ब्यौरा**	**विवरण**
31526/-	निर्माण टैंक खलान्टी चालयन	व्यय का विवरण दर्ज नहीं
10000/-	स्टेडियम गुगा मन्दिर मंझोली	------do------
6900/-	कार्यालय व्यय-गैस कनेक्शन	--------------
17000/-	कार्यालय व्यय-बर्तन खरीद	--------------
1434/-	विविध व्यय- स्टेशनरी खरीद	-------------
3000/-	विविध व्यय- ऑफलाइन डाटा	व्यय का विवरण दर्ज नहीं
1950/-	मानदेय	------do------
71810/-	**दर्शाया गया कुल व्यय भुगतान**	

15 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएंः-

(i) बिना बिल/वाउचर **₹2.57** लाख **का अनियमित** भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के अनुसार पंचायत निधि से किये गए प्रत्येक व्यय/भुगतान हेतु जो वाउचर तैयार किया जायेगा उसमें विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता के बिल को सब-वाउचर के रूप में लगाया जायेगा | परन्तु ग्राम पंचायत के सामान्य निधि से चयनित माह 8/2015 में किए गए व्यय का अंकेक्षण करने पर **पाया गया** कि निम्नतालिका **में दर्शाए गए ₹2,56,501 के आहरण/भुगतान से सम्बन्धित व्यय** वाउचर न तो फाईल में उपलब्ध थे और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जोकि अनियमित है क्योंकि इसके अभाव में व्यय/भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका तथा ऐसे में आहरित राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में विभागीय जाँच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करके नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवही करने हेतु लाई जाती है।

दिनांक	चेक नं	विवरण	राशि (₹)	रोकड़ बही पृ0सं0
27.8.15	40009	टैंक लाल्टा बस्ती चाम्या	39200	25,26
28.8.15	40012	खेल मैदान थोड़ा	147000	26
28.8.15	40013	खेल मैदान चबूतरा, ठुंडाडी	49000	26,27
28.8.15	40015	टैंक लाल्टा बस्ती, अशाधार	21301	27
		कुल आहरित राशि	**256501**	

(ii) TSC/SBM योजना के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु भुगतान की गई ₹4.92 लाख **से सम्बन्धित अभिलेख** अंकेक्षण को **प्रस्तुत न करना**

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2017 में **पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC/SBM)** के अन्तर्गत चेक संख्या **670101 से 670122** द्वारा **22** लाभार्थियों को तथा माह 06/2017 में चेक संख्या **{669982, 669983, 504801 से 504813**, **504820, 504822, 504826 तथा 504827**} द्वारा **19** लाभार्थी परिवारों को ₹12000 प्रति परिवार की दर से ₹492000 की प्रोत्साहन राशि का भुगतान दर्शाया गया था किन्तु वर्णित भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जैसे, **स्वीकृति पत्र, कार्य पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र तथा अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र** इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान सही लाभार्थी को हुआ है, अथवा नहीं या लाभार्थी द्वारा योजना की शर्तों के अनुसार शौचालय के निर्माण हेतु उक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है या नहीं इत्यादि बारे

अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) 14th FC खाते से बिना कार्यों का विवरण दिए ₹1.40 लाख के सीमेंट की खरीद

चोहद्वें वितायोग की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार दिनांक 28.02.2017 को HPSCS, Corp. से बिल संख्या **CSH-054-00547** द्वारा **462** बैग सीमेंट की खरीद @ 303.30 प्रति बैग की दर से ₹140125 में की गई थी जिसका भुगतान **चेक संख्या:411940** द्वारा किया गया था किन्तु वर्णित सीमेंट की खरीद किन कार्यो हेतु की गई और किन कार्यो में सीमेंट का उपयोग किया गया इत्यादि का ब्यौरा प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट नहीं हो पाया। इसके अतिरिक्त क्रय सीमेंट पंचायत के भण्डार रजिस्टर में भी दर्ज नहीं पाया गया जिससे संशय होता है कि कहीं सीमेंट का दुर्विनियोजन तो नहीं किया गया है। अतः वर्णित अनियमितता की पूर्ण छानबीन करके वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 पंचायत चौकीदार को ₹0.08 लाख के मानदेय का दो बार आहरण/भुगतान करना

माह 04/2017 में चोकीदार श्री श्याम सिंह के अवधि **01.01.2017 से 31.03.2017** के मानदेय ₹7740 का {एक बार वाउचर संख्यां: 3 चेक संख्यां 670128 ₹7740 तथा दोबारा वाउचर संख्यां: 8 चेक संख्या: 670138 ₹51990} दो बार आहरण/भुगतान कर पंचायत कोष से **₹7740** का अधिक आहरण किया गया प्रतीत होता है, जिसकी पूर्ण छानबीन के उपरान्त अधिक भुगतान राशि **₹7740** की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

17 अंकेक्षण को अज्ञात अनुदान ₹5.86 लाख का विवरण प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 23.06.2015 को ₹64000 व् ₹72000 की अज्ञात राशि रोकड़ बही पृष्ठ 23 तथा इसके अतिरिक्त बचत बैंक खाते में दिनांक 17.07.2015 को जमा ₹4,50,000 (जिसे अंकेक्षण आपत्ति के उपरान्त दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही में दर्ज किया गया था।) की राशि रोकड़ बही में अज्ञात अनुदान के रूप में प्राप्त दर्शाई गई थी परन्तु प्राप्त अनुदान राशि का स्त्रोत, उद्देश्य व स्वीकृति पत्र इत्यादि से सम्बन्धित सूचना व अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः वर्णित अपेक्षित अभिलेख/सूचना प्राप्त करके अनुदान को उपयुक्त प्रयोजन पर ही खर्च करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद प्राप्त न करना

(i) माह 04/2017 में निम्नतालिकानुसार ₹51,990 के मानदेय भुगतान की रसीदों {वाउचर संख्यां: 8} पर वास्तविक प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरित नहीं पाये गए जिसके अभाव में दर्शाया गया भुगतान अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते

हुए भुगतान की सम्बन्धित से रसीद प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाएः–

प्राप्तकर्ता	राशि (₹)	विवरण
मानदेय प्रधान	9000/-	मानदेय का उक्त भुगतान 01.07.16 से 31.03.2017 की अवधि का दर्शाया गया है जोकि मानदेय की प्रभावी दरों के अनुसार तर्कसन्गत प्रतीत नहीं होता|
मानदेय उप-प्रधान	6900/-	
मानदेय वार्ड पंच (7पंच)	28350/-	
मानदेय चौकीदार	7740/-	
कुल भुगतान	**51990/-**	

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा मानदेय पञ्जीका का संधारण भी नहीं किया गया था और न ही मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित प्रभावी दरों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण मानदेय भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अतः वर्णित अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है, जोकि अंकेक्षण से सम्बन्धित अवधि के लिए तैयार व् पारित नहीं किए गए थे जिसके कारण पंचायत द्वारा किया गया समस्त व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की कर्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार/पारित करवाकर, तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

20 प्राप्त अनुदान राशि की सम्बन्धित विभाग को रसीद जारी न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम, 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत से प्राप्त आय/अनुदान के लिए उपरोक्त नियमों में दिए गए प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है परन्तु पंचायत के लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों मुख्यतः RTGS/Online बैंक प्राप्तियों के लिए उक्त वर्णित नियमानुसार रसीद जारी नहीं की जा रही थी जिसका या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा भविष्य में उक्त वर्णित नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितताएँ

(क) उपयोग की गई रसीद बुकों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, और रसीदों पर की गई काट–पीट व रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा था जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का संज्ञान लेते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त, नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुकों का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका| अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए|

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

क्रमांक	**वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम**
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	
3.	चल अचल सम्पति का रजिस्टर	
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	
5.	अग्रिमों का रजिस्टर	
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	
7.	प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर	
8.	मांग व् प्राप्ति रजिस्टर|
9.	स्टेशनरी रजिस्टर|
10.	निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर|

11. मस्ट्रोल रजिस्टर|

12. इन्वेंटरी रजिस्टर|

23 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी। अतः इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 विविध अंकेक्षण आपत्तियां

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था इसमें न तो कोई इति शेष और न ही अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन-देन, रोकड़ बही व बैंक खाते में मौजूद शेष राशि का मिलान, पंचायत द्वारा तैयार की गई आय–व्यय तालिका व तुलनपत्र की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो पाई। अतः रोकड़ बही एवं खाता बहियों का नियमानुसार संधारण सुनिश्चित किया जाए|

ii) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको में विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्तः हस्ताक्षरित नहीं किया जा रहा था जोकि अनियमित है तथा भविष्य में उक्त नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित किया जाए|

iii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए प्रत्येक व्यय बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा पारित व्यय की प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं किया जा रहा था, जिस बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में उक्त नियम की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जाए|

iv) व्यय/भुगतान से सम्बन्धित वास्तविक प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं की जा रही थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उचित रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए|

25 **लघु आपत्ति विवरणिका**

यह पृथकता से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।

26 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)87/2018 खण्ड—1—6365—6368 दिनांक—26.09.2018 शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मन्झोली, विकास खण्ड कुपवी जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881